



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



Office Order No. 14 of 2023

**Sub : Looking after arrangements w.r.t. work allocated to
AM/Finance**

It has been decided that PED/A would look after the matters, requiring concurrence/approval of AM/Finance, (other than policy and sanction of works) of Finance Expenditure and Finance Stores Branches under Finance Directorate, in addition to her own duties till further orders.

2. The above issues with the approval of competent authority.

No. 2023/O&M/7/6
Dated:- 02.03.2023

(T. Srinivas)

Joint Secretary/ Railway Board

All Officers/Branches in Board's Office, COFMOW and Dayabasti, New Delhi.

Copy to:
PED/A

Copy for information:
EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MoSR(J)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2023 का कार्यालय आदेश सं. 14

विषय: अपर सदस्य/वित्त को आवंटित कार्य के संबंध में कार्यभार संभालने की व्यवस्था

यह निर्णय लिया गया है कि अगले आदेशों तक प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा द्वारा उनकी स्वयं की ड्यूटियों के साथ-साथ, वित्त निदेशालय के अंतर्गत वित्त व्यय और वित्त भंडार शाखाओं के मामलों (निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अतिरिक्त) को भी, जो अपर सदस्य/वित्त की सहमति/अनुमोदन की आवश्यकता रखते हैं, देखा जाएगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

सं. 2023/ओरेंडएम/7/6

दिनांक: 02.03.2023

(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (जे)